

दिनांक 05/2024 जगदीश वामन तेलकर
T.I

17/10/24 व.क. ड.प. प्रतिवादी सं. 294 के अंतर्गत
जवाब T.2. पेश हुआ। उद्यमपक्ष के अधिवक्ता
के अस्थायी निवेधाना पर बंध देह
शिया। बंध सुनी गयी। दौरे पर बंध के
अपार्थ सं. 294 के अधिवक्ता ने कि
आरापिमात पर उद्यमपक्ष के पाबन्ध
देह निवेदन शिया। अपार्थ सं. 395 के
अधिवक्ता ने T.2. जारी की जाती है तो मुझे
कोरे आपसे भी है बंध पर मनन शिया
गया। पत्रावली के पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजात का अवलोकन शिया गया।
उद्यमपक्ष अधिवक्ता के सहायि के आधार
पर T.2. जारी शिया जाना न्यायोचित प्रतिक
है। अतः उद्यमपक्षकारात के जारी
अस्थायी निवेधाना से इस रुद्ध पाबन्ध
शिया जाता है कि विवाहित आरापी ख.न.
1139, 2034/1140, 2033/1140, 1155 कुल शिता
4 का कुल संख्या 2.15 है। भूमि को मात्र
धीपलारी तहसील चिंला जमपुत्र के मालिक
व रिहाई के प्रथाश्रिति वनामे रखने के
आवेश शिथे जाते है पत्रावली के जल शुभकर
द्वारा दफ्त नम्बर से कत है तथा मूल
94 के संलग्न है।

सहायक कलेक्टर
चौम (जयपुर)

Presented by
Adv. Karishm Nataraj
Ramesh
Chack & Ramesh
Raj